Loading unloading

226

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2009/वैशाख 30, 1931
No. 800] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2009/VAISAKHA 30, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

का.आ. 1284(अ).—"(i) रेलवे के मालगोदामों, पार्सल कार्यालयों; (ii) अन्य मालगोदामों, गोदामों, भाण्डागारों आदि, और; (iii) डॉकों और पत्तनों में माल की लदाई और उतराई के अनुसूचित रोजगार" में लगे कर्मचारियों को संदेय दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 131(अ) में तारीख 13 जनवरी, 2009 द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी और उनसे उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 14 जनवरी, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात्, इस अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करती है ।

मजदूरी की न्यूनतम दरें, जो इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) इसके साथ संलग्न अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ(1) में उपवर्णित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उसके स्तंभ (2) में उल्लिखित संदेय मजदूरी की मूल दरें ; और

(ख) उक्त अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ते को (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवर्ती मंहगाई भत्ता कहा गया है) उक्त अनुसूची के भाग II के कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली छमाही की पूर्ववर्ती अवधि के लिए औद्योगिक कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर क्रमश: 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को आरम्भ होने वाली छमाही के अंतराल पर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची

भाग I : न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें

क्षेत्र	(दैनिक मजदूरी रुपये में)
(1)	(2)
क	180.00 रुपये
ख	150.00 रुपये
ग	120.00 रुपये

भाग II : परिवर्ती महंगाई भत्ता दर

क्षेत्र	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए 133 से परे प्रत्येक अंक वृद्धि या गिरावट के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ता दर जो औद्योगिक कर्मकारों के लिए है ।
(1)	(2)
क	1.35 रुपये
ख	1.13 रुपये
ग	0.90 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

1. इस अधिसूचना के उपाबंध में यथाउपदर्शित क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में ऐसे क्षेत्रों के रूप में उक्त उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः सभी स्थान शामिल होंगे तथा नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड या किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति से पंद्रह किलोमीटर की दूरी के सभी स्थान शामिल होंगे । क्षेत्र "ग" में उपाबंध के क्षेत्र "क" और "ख" में उल्लेख न किए गए ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे, जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 विस्तारित होता है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए अथवा उन्नयन किए गए स्थानों को इस प्रारूप प्रस्ताव के उपाबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिवर्धन या उन्नयन की तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ।

2. जहां किसी संविदा अथवा करार के आधार पर अथवा अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के लिए इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ लागू होने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी दरें मानी जाएंगी ।

3. न्यूनतम मजदूरी दरों में साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए मजदूरी भी शामिल है ।

4. न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होती हैं ।

5. निःशक्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों को संदेय दरों के समान होंगी ।

6. पुरुष और महिला कर्मचारी समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी की दरें प्राप्त करेंगे ।

7. न्यूनतम मजदूरी दरें और परिवर्ती मंहगाई भत्ता दोनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रवर्तनीय न्यूनतम मजदूरी दरों का गठन करेंगे ।

उपाबंध

क्षेत्र 'क'

अहमदाबाद	(यू ए)	हैदराबाद	(यू ए)
बंगलुरू	(यू ए)	कानपुर	(यू ए)
कोलकाता	(यू ए)	लखनऊ	(यू ए)
दिल्ली	(यू ए)	चैन्नई	(यू ए)
वृहत्तर मुम्बई	(यू ए)	नागपुर	(यू ए)

क्षेत्र 'ख'

आगरा	(यू ए)	जमशेदपुर	(यू ए)
अजमेर		जोधपुर	
अलीगढ़		कोच्चि	(यू ए)
इलाहाबाद	(यू ए)	कोल्हापुर	(यू ए)
अमरावती		कोझीकोड	(यू ए)
औरंगाबाद	(यू ए)	कोटा	
बरेली	(यू ए)	लुधियाना	
भावनगर		मदुरै	(यू ए)
बीकानेर		मेरठ	(यू ए)
भोपाल		मुरादाबाद	(यू ए)
भुवनेश्वर		मैसूर	(यू ए)
अमृतसर		नासिक	(यू ए)
चंडीगढ़	(यू ए)	पुणे	(यू ए)
कोयम्बटूर	(यू ए)	पटना	(यू ए)
कटक	(यू ए)	रायपुर	(यू ए)
दुर्गापुर		राजकोट	
फरीदाबाद, कम्पलैक्स		रांची	(यू ए)
गाजियाबाद	(यू ए)	शोलापुर	(यू ए)
गोरखपुर		श्रीनगर	(यू ए)
गुवाहाटी शहर		सूरत	(यू ए)
गुन्टूर		तिरूवनन्तपुरम	(यू ए)
ग्वालियर	(यू ए)	वडोदरा	(यू ए)
इन्दौर	(यू ए)	वाराणसी	(यू ए)
हुबली-धारवाड		विजयवाड़ा	(यू ए)
जबलपुर	(यू ए)	विशाखापट्टनम	(यू ए)
जयपुर	(यू ए)	वारंगल	

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है ।

कृपया ध्यान दें : यू ए नगर बस्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

[फा. सं. एस-32017/1/2007-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक